[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi dated the 19th January, 2023

G.S.R. ___ (E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 164, sub-section (1) of section 466, section 367 and section 374 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Companies (Authorised to Register) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from 23rd January 2023.

2. In the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014,-

(A) in sub-rule (2) of rule 3,-

(1) in clause (a),-

(i.) for sub-clause (iv), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(iv) No Objection Certificate from secured creditor along-with charge holder, if applicable;";

(ii.) sub-clauses (v) and (vi) shall be omitted.

(2) In clause (b),-

(i). for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(v) No Objection Certificate from secured creditor along -with charge holder, if applicable;";

(ii.) sub-clauses (vi) and (vii) shall be omitted.

(3) In clause (c),-

(i). for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(v) No Objection Certificate from secured creditor along-with charge holder, if applicable;";

(ii) sub-clauses (vi, (vii) and (ix) shall be omitted.

(4) In clause (d),-

(i). for sub-clause (iv), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(iv) No Objection Certificate from secured creditor along-with charge holder, if applicable;";

(ii.) sub-clauses (v), (vi) and (vii) shall be omitted.

3. For Form No. URC-1, the following form shall be substituted, namely:-

Form No. URC-1

Application by a company for registration under section 366

[Pursuant to rule 3(2) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014 read with section 366 of the Companies Act, 2013]

सत्यमेव जयते

Form language

● English ○ Hindi

Refer instruction kit for filing the form.

*All fields marked in * are mandatory*

Company Information

1 *Type of company

2(a) *Type of existing entity

(b) *LLPIN/ Registration Number

(c) *Name of the existing entity

(d) *Address of the existing entity

(e) *Email Id of the existing entity

(f) *Number of members in the existing entity as on the date of application

3(a) *Name of the proposed company

(b) *Category of the proposed company

(c) Whether liability of the members of the company is limited by any Act of Parliament ◯ Yes ◯ No

other than Companies Act

4(a) *Date of instrument constituting the existing entity (DD/MM/YYYY)

(b) *Description of the instrument

5(a) Date of passing resolution for declaring the amount of guarantee

(b) Particulars of guarantee taken up by each member

6 *Date of general meeting passing the resolution assenting to registration with limited liability

7 *Particulars of passing special resolution and the place of general meeting

8 *Total amount of the property (whether movable or immovable including actionable claims)

9 *Whether any suit or legal proceeding taken by, or pending against the entity, or any public officer ◯ Yes ◯ No
or member thereof

If Yes, give brief details

10(a) *Whether entity has any secured debt outstanding as on the date of application ◯ Yes ◯ No

(b) Mention the total outstanding amount

11(a) *Date of publication of advertisement in English language as per Rule 4 of Companies (Authorised to register) Rules, 2014

(b) *Date of publication of advertisement in vernacular language as per Rule 4 of Companies (Authorised to register) Rules, 2014

(c) *Any objection(s) has been received till date ◯ Yes ◯ No

Attachments

(1) *Particulars of members/partners along with the details of shares held by them;	Max 2 MB Choose File Remove Download
(2) *Affidavit from all the members/partners for dissolution of the entity;	Max 2 MB Choose File Remove Download
(3) *Copy of the instrument constituting or regulating the entity;	Max 2 MB Choose File Remove Download
(4) Copy of certificate of registration of the entity, if any;	Max 2 MB Choose File Remove Download
(5) *Copy of Newspaper advertisement	Max 2 MB Choose File Remove Download
(6) *Resolution of unregistered companies in case of Chapter XXI (Part I) companies	Max 2 MB Choose File Remove Download
(7) Intimation from the concerned Registrar of Firms or Registrar of Companies (LLP)	Max 2 MB Choose File Remove Download
(8) NOC from secured creditors along with charge holder, if applicable;	Max 2 MB Choose File Remove Download
(9) Statement of accounts of the existing entity, prepared not later than 15 days preceding the date of application duly certified by auditor; if applicable	Max 2 MB Choose File Remove Download
(10) Copy of the resolution declaring the amount of guarantee	Max 2 MB Choose File Remove Download
(11) *A copy of latest Income Tax Return of the firm	Max 2 MB Choose File Remove Download
(12) Copy of objection(s) received from companies along with details of resolution(s) provided, if applicable	Max 2 MB Choose File Remove Download
(13) Optional attachment(s) - if any	Max 2 MB Choose File Remove Download

---

Declaration

I * [ ] , a person named in the articles as a * [ ]
declares that all the requirements of The Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I am authorised by other promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association and the first directors to give this declaration and to sign and submit this Form. It is further declared and verified that:

1 Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

3 I * [ ] , on behalf of majority of directors hereby declare that the list of members and directors and any other particulars relating to the company is correct and nothing relevant to this form has been suppressed.

4 I, on behalf of all the first director(s) named in the Articles of Association of the proposed company hereby confirm that compliance with the requirements of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) as applicable would be done.

5 I hereby declare that the list of members and directors and any other particulars relating to the conversion of the company under this Part of the Act which are required to be delivered to the Registrar (either in the form or attachments) have been duly verified by me in the capacity of a proposed director as per Rule 3(5) of Companies (Authorised to Register) Rules.

***To be digitally signed by** DSC BOX

*Designation

*DIN/ DPIN or PAN of the director

Certificate by Practicing Professional

*I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder relevant to this form and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

I further certify that:

i The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;

ii All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

iii I further certify that the Company / applicant is fully compliant of the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 and no non-compliance has been observed.

*To be digitally signed by: DSC BOX

○ Chartered accountant (in whole-time practice) or

○ Cost accountant (in whole-time practice) or

○ Company secretary (in whole-time practice)

*Whether associate or fellow:

○ Associate ○ Fellow

Membership number

Certificate of practice number

Save Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This eForm is hereby registered

DSC BOX

Date of signing (DD/MM/YYYY)

[File No. 1/35/2013-CL-V]

(MANOJ PANDEY)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (1) *vide* number G.S.R.257(E), dated the 31st March, 2014 and last amended, *vide* number G. S. R. 613(E), dated the 5th July, 2018.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 19 जनवरी, 2023

सा.का.नि._ (अ). - केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 164 की उपधारा (1), धारा 466 की उपधारा (1), धारा 367 और धारा 374 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियम का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये नियम 23 जनवरी, 2023 को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 में,

(क) नियम 3 के उपनियम (2) में,-

(1) खंड (क) में,-

(i) उपखंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थातः-

"(iv) भारक के साथ प्रतिभूत लेनदार से अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो ;";

(ii) उपखंड (v) और (vi) का लोप किया जाएगा।

(2) खंड (ख) में,-

(i) उपखंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थातः-

"(v) भारक के साथ प्रतिभूत लेनदार से अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो ;";

(ii) उपखंड (vi) और (vii) का लोप किया जाएगा।

(3) खंड (ग) में,-

(i) उपखंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थातः-

"(v) भारक के साथ प्रतिभूत लेनदार से अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो ;";

(ii) उपखंड (vi), (vii) और (ix) का लोप किया जाएगा।

(4) खंड (घ) में,-

(i) उपखंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थातः-

"(iv) भारक के साथ प्रतिभूत लेनदार से अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो ;";

(ii) उपखंड (v), (vi) और (vii) का लोप किया जाएगा।

3. प्ररूप यूआरसी-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप सं. यूआरसी-1

धारा 366 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए कंपनी द्वारा आवेदन

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 366 के साथ पठित
कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम 2014 के
नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

प्ररूप की भाषा

अंग्रेज़ी हिंदी

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश देखें।

** में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं*

कंपनी की सूचना

1 * कंपनी का प्रकार

2(क) * विद्यमान इकाई का प्रकार

(ख) *एलएलपीआईएन/रजिस्ट्रीकरण संख्या

(ग) * विद्यमान इकाई का नाम

(घ) *विद्यमान इकाई का पता

(ङ) * विद्यमान इकाई की ईमेल आईडी

(च) *आवेदन की तारीख के अनुसार विद्यमान इकाई में सदस्यों की संख्या

3 (क) * प्रस्तावित कंपनी का नाम

(ख) * प्रस्तावित कंपनी का प्रवर्ग

(ग) क्या कंपनी के सदस्यों का दायित्व कंपनी अधिनियम, से भिन्न संसद के किसी अधिनियम द्वारा सीमित है। ○ हां ○ नहीं

4(क) * विद्यमान इकाई के गठन की लिखत की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(ख) * लिखत का विवरण

5 (क) प्रत्याभूति की रकम घोषित करने के लिए संकल्प पारित करने की तारीख

(ख) प्रत्येक सदस्य द्वारा ली गई प्रत्याभूति की विशिष्टियां

6 * सीमित दायित्व के रजिस्ट्रीकरण के लिए सहमति देते हुए संकल्प पारित करने वाली साधारण बैठक तारीख

7 * विशेष संकल्प पारित करने और साधारा बैठक के स्थान की विशिष्टियां

8 * संपति (अनुयोज्य दावों सहित जंगम या स्थावर) की कुल रकम

9. क्या इकाई या उसके किसी लोक अधिकारी या सदस्य द्वारा उसके विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही लंबित है — ○ हां ○ नहीं

यदि हाँ, तो संक्षिप्त ब्यौरे दें

10 (क) * क्या इकाई का आवेदन की तारीख को कोई प्रतिभूत ऋण बकाया है — ○ हाँ ○ नहीं

(ख) कुल बकाया रकम का उल्लेख करें

11 (क) * कंपनी के नियम 4 के अनुसार अंग्रेजी भाषा में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख (रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014

(ख) * कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 नियम 4 के अनुसार जन भाषा में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख

(ग) *आज तक कोई आपत्ति प्राप्त हुई है — ○ हां ○ नहीं

संलग्नक

(1) *सदस्यों /भागीदारों के ब्यौरे के साथ उनके द्वारा धारित शेयरों की विशिष्टियां;	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाना	डाउनलोड
(2) * इकाई का विघटन के लिए सभी सदस्यों/भागीदारों से शपथपत्र;	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाना	डाउनलोड
(3) *इकाई का गठन या विनियमन करने वाली लिखत की प्रतिलिपि;	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाना	डाउनलोड
(4) इकाई के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति, यदि कोई हो;	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चूनें	हटाना	डाउनलोड
(5) *समाचार पत्र के विज्ञापन की प्रति	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चूनें	हटाना	डाउनलोड
(6) *कंपनियों के अध्याय 21 (भाग 1) के मामले में अरजिस्ट्रीकृत कंपनियों का संकल्प	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चूनें	हटाना	डाउनलोड
(7) फर्मों के संबंधित रजिस्ट्रार या कंपनियों के रजिस्ट्रार से सूचना (सीमित दायित्व भागीदारी)	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चूनें	हटाना	डाउनलोड
(8) भारक के साथ प्रतिभूत लेनदारों से एनओसी, प्रमाणपत्र, यदि लागू हो;	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चूनें	हटाना	डाउनलोड

(9) विद्यमान इकाई के लेखापाल का विवरण, जो लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित आवेदन की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले तैयार किया गया है; यदि लागू हो

अधिकतम 2 एमबी | फ़ाइल चुनें | हटाना | डाउनलोड

(10) प्रत्याभूति की रकम घोषित करने वाले संकल्प की प्रति

अधिकतम 2 एमबी | फ़ाइल चुनें | हटाना | डाउनलोड

(11) *फर्म के नवीनतम आयकर विवरणी की एक प्रति

अधिकतम 2 एमबी | फ़ाइल चुनें | हटाना | डाउनलोड

(12) विधित संकल्पों के ब्यौरों के साथ कंपनी से प्राप्त आपति की प्रति, यदि लागू हो,

अधिकतम 2 एमबी | फ़ाइल चुनें | हटाना | डाउनलोड

(13) वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी | फ़ाइल चुनें | हटाना | डाउनलोड

घोषणा

मैं * ______ अनुच्छेदों में नामित व्यक्ति * ______ यह घोषणा करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसमें उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में अनुपालन किया गया है। मुझे संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य संप्रवर्तकों द्वारा तथा प्रथम निदेशकों द्वारा इस घोषणापत्र को देने तथा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। यह भी घोषणा और सत्यापन किया किया जाता है कि:

1 **इस प्ररूप और उसके संलग्नकों में दी गई सूचना सत्य, सही तथा पूर्ण हैं और इस प्ररूप की विषयवस्तु की किसी सूचना को अधिक्रमित या छिपाया नहीं गया है और संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने वाले संप्रक्तकों द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेखों के अनुसार है।**

2 **सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण है और इस प्ररूप के साथ संलग्न हैं।**

3 **मैं * ______ अधिकांश निदेशकों की ओर से घोषणा करता हूं कि सदस्यों और निदेशकों की सूची और कंपनी से संबंधित कोई अन्य विशिष्टियां सही है और इस प्ररूप से संबंधित कुछ भी छुपाया नहीं गया है।**

4 **मैं, प्रस्तावित कंपनी के संगम अनुच्छेदों में नामित सभी प्रथम निदेशकों (निदेशकों) की ओर से इस बात की पुष्टि करता हूं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की अपेक्षाओं, यथा प्रयोज्य का अनुपालन किया जाएगा।**

5 **मैं यह घोषणा करता हूं कि अधिनियम के इस भाग के अधीन कंपनी के संपरिवर्तन से संबंधित सदस्यों और निदेशकों की सूची और कोई अन्य विशिष्टियां जो रजिस्ट्रार को परिस्त किया जाना अपेक्षित है (या तो प्ररूप या संलग्नक में) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 3 के उपनियम (5) के अनुसार प्रस्तावित निदेशक की क्षमता में मेरे द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित किया गया है।**

* अंकीय हस्ताक्षर के लिए — **डीएससी बॉक्स**

* पदनाम

*निदेशक का डीआईएन/डीपीआईएन या पैन

वृत्तिक व्यवसाय द्वारा प्रमाणपत्र

*मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप को प्रमाणित करने के प्रयोजन के लि सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप के सुसंगत कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अध्ययन किया है और मैंने उपर्युक्त विशिष्टियों (संलग्नकों सहित) का कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों से सत्यापन कर लिया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप की कोई सूचना छुपाई नहीं गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि:

i उक्त अभिलेख समुचित रूप से तैयार किए गए है, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित है और कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार रखे गए है और सही पाए गए थे;

ii इस प्ररूप के साथ सही अपेक्षित संलग्नक पूर्णत: और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं।

iii मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि कंपनी/आवेदक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के उपबंधों का पूरी तरह अनुपालन करता है और कोई अननुपालन नहीं देखा गया है।

*अंकीय हस्ताक्षर होने के लिए: डीएससी बॉक्स

○ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या

○ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या

○ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)

* सहयुक्त या अध्येता है:

○ सहयुक्त ○ अध्येता

व्यवसाय प्रमाण पत्र संख्या

अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

सेव कर जमा

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के उपबंधों जिनमें क्रमश: मिथ्या कथन/प्रमाणपत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाली अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

यह ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत है

डीएससी बॉक्स

हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

[फाइल सं. 1/35/2013-सीएल-V]

मनोज पाण्डेय

(मनोज पाण्डेय)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में संख्यांक सा.का.नि. 257(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 613 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2018 द्वारा अंतिमवार संशोधित किए गए थे।